आदेश ब इजलास अन्तर सिंह नेहरा आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर
प्रकरण संख्या 318/2020 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन)

यूको बैंक, रजिस्टर्ड कार्यालय यूको बैंक प्रधान कार्यालय 10 बि.टी.म (ब्रेबोन रोड) कोलकाता एवं शाखा कोटपूतली, अधिकृत प्राधिकारी श्री लक्ष्मण कुमार।

प्रार्थी बैंक

बनाम

1. चिरंजी लाल सैनी पुत्र श्री घासी राम सैनी
2. श्रीमती बीना देवी पत्नी श्री चिरंजी लाल सैनी
3. सुरेश चन्द सैनी पुत्र श्री घासीराम सैनी
4. सुनील कुमार सैनी पुत्र श्री घासीराम सैनी
5. पता–ढाणी सूरदासवाली, श्याम नगर, डाबला रोड, कोटपूतली।

अप्रार्थी ऋणी

The application under section 14 of the securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002

उपस्थित :–

1. श्री भवानी सिंह नरूका अधिवक्ता प्रार्थी बैंक की ओर से।

आदेश दिनांक: **19.01.2021**

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 31.01.2012 को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी चिरंजी लाल सैनी पुत्र घासीराम सैनी के स्वामित्व की सम्पत्ति ढाणी सूरदासवाली, श्याम नगर, डाबला रोड, कोटपूतली स्थित क्षेत्रफल 570 वर्गगज को बन्धक रख कर 9,90,000/–रूपये एवं 20.20.000/–रूपये कुल राशि 29,90,000/–रूपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी बैंक को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 29.07.2019 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी बैंक ने The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक उक्त कार का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है।

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया । न्याय हित में अप्रार्थी ऋणियों को सूचना पत्र जारी किये गये। अप्रार्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ।

3. प्रार्थी बैंक के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का भलीभांति अवलोकन किया गया।

4. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थी को 9,90,000/–रूपये एवं 20,00,000/– रूपये कुल राशि 29,90,000/–रूपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित कार बंन्धक के रूप में प्रार्थी बैंक के पास गिरवी रखी है। अपार्थीगण का ऋण खाता एन पी ए घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि मय ब्याज कुल बकाया राशि 24,62,780/–रूपये जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 29.08.2019 को अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का बैंक को कोई जबाव नहीं दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा बैंक को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रूपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत बैंक बन्धक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत बैंक के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है।

5. अतः The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी बैंक के पक्ष में अप्रार्थी चिरंजी लाल सैनी पुत्र घासीराम सैनी के स्वामित्व की सम्पत्ति ढाणी सूरदासवाली, श्याम नगर, डाबला रोड, कोटपूतली स्थित क्षेत्रफल 570 वर्गगज का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है।

6. आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर /पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण को भेज कर लिखा जावे की उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को प्राप्त करने में सहयोग कर बैंक को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करें एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करे। आदेश की प्रति हस्ब कायदा जारी हो । पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

7. आदेश आज दिनांक 19.01.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

19/1/21

(अन्तर सिंह नेहरा)

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर